जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां **दिनांक – 24.07.2024**

थाना शिवालाकलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.07.2024 को मौ0 शहरान पुत्र मौ0 अरमान निवासी ग्राम भैसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने यूपी-112 के माध्यम से थाना शिवालाकलां पर सूचना दी कि सुबह करीब 09.00 बजे उसके भाई गुलशेर पुत्र मौ0 अरमान (उम्र करीब 23 वर्ष) को मुरशलीन पुत्र मौ0 असगर निवासी ग्राम शिवाला खुर्द थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर घर से बुलाकर ले गया था, जोकि घर वापस नही आया है।

सूचना पर थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा तत्काल युवक की बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गुलशेर उपरोक्त को ग्राम भैंसा थाना शिवालाकलां से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

गुलशेर पुत्र मौ0 अरमान उपरोक्त ने बताया कि उसके साथ मुरशलीन उपरोक्त आदि ने पैसो के लेन देन को लेकर मारपीट व गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी -

गुलशेर पुत्र मौ0 अरमान निवासी ग्राम भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

पुलिस टीम–

1. श्री बृजकिशोर शर्मा, थानाध्यक्ष शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 725 सचिन राठी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 68 शेखर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 24.07.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 525/23 धारा 420/406/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.08.2023 को डॉ0 संदीप अग्रवाल पुत्र डॉ0 विरेन्द्र अग्रवाल निवासी पूजा अस्पताल हरिद्वार रोड थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त ईंजी0 पी0सी0 शर्मा प्रतिनिधि पंजीकृत कार्यालय 461 ग्राम रिठाला नई दिल्ली ने निश्चित की गई धनराशि प्राप्त करने के बावजूद भी वादी द्वारा मंगाई गई एक मेडिकल मशीन यूनिट की सप्लाई नही की। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 525/23 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में अभियुक्त रिचिक शर्मा पुत्र श्री प्रेमचन्द शर्मा निवासी म0न0 73 शारदा अपार्टमेन्ट वेस्ट एन्कलेव पीतमपुरा थाना मंगोलपुरी दिल्ली का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 420/506 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 525/23 धारा 420/406/506 भादवि में वांछित अभियुक्त रिचिक शर्मा पुत्र श्री प्रेमचन्द शर्मा निवासी म0न0 73 शारदा अपार्टमेन्ट वेस्ट एन्कलेव पीतमपुरा थाना मंगोलपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिचिक शर्मा पुत्र श्री प्रेमचन्द शर्मा निवासी म0न0 73 शारदा अपार्टमेन्ट वेस्ट एन्कलेव पीतमपुरा थाना मंगोलपुरी दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.का0 1223 रजत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.का0 2046 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 24.07.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0स0 357/24 धारा 85/115(2)/123/80 बी0एन0एस0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.07.2024 को वादी श्री धीरज सिंह पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम भेडा भरतपुर थाना नौगांवा सादात जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- सुनील पुत्र समरपाल 2- समरपाल पुत्र नत्थु सिंह 3- जयवती पत्नि समरपाल सिंह निवासीगण ग्राम अथाई थाना चाँदपुर बिजनौर ने वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताडित व मारपीट की तथा खाने मे जहर दे दिया , जिससे वादी की बहन की मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर मु0अ0स0 357/24 धारा 85/115(2)/123/80 बी0एन0एस0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम सुनील आदि 03 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.07.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र समरपाल नि0 ग्रा0 अथाई थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

सुनील पुत्र समरपाल नि0 ग्रा0 अथाई थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.का0 1221 आशीष कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 24.07.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 244/24 धारा 452/308/323/504/506 भादवि में वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादिनी ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.तस्लीम अहमद पुत्र लियाकत, 2.चांद अहमद पुत्र लियाकत, 3.जुनैद पुत्र तस्लीम व 4.मौ0 नामू पुत्र गुल्ले निवासीगण नई बस्ती नसीरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर के घुसकर वादिनी व वादिनी के परिजनो के साथ गाली गलौच करते हुए लोहे की रॉड आदि से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 244/2024 धारा 452/308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नहटौर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.तस्लीम अहमद पुत्र लियाकत, 2.चांद अहमद पुत्र लियाकत व 3.मौ0 नामू पुत्र गुल्ले समस्त निवासीगण नई बस्ती नसीरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. तस्लीम अहमद पुत्र लियाकत निवासी नई बस्ती नसीरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2. चांद अहमद पुत्र लियाकत नई बस्ती नसीरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
3. मौ0 नामू पुत्र गुल्ले नई बस्ती नसीरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शक्ति सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 514 मनीष कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3.का0 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा **दिनांक 24.07.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.07.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अमीरूद्दीन पुत्र नईमुद्दीन निवासी अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमीरूद्दीन पुत्र नईमुद्दीन निवासी अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सोनू थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 356 प्रकाशवीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 24.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 493/2024 धारा 387/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10/06/2024 को वादी शुशांत पुत्र जयपाल सिंह ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त कृष्णा पुत्र छोटे सिंह निवासी मोजमपुर सुजान थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने वादी से फोन पर 05 लाख रुपये की मांग की तथा जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 493/2024 धारा 387/506 भादवि बनाम कृष्णा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कृष्णा पुत्र छोटे सिंह निवासी मोजमपुर सुजान थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कृष्णा पुत्र छोटे सिंह निवासी मोजमपुर सुजान थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास कृष्णा उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 0493/2024 धारा 387/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0 108/23 धारा 506 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0 145/22 धारा 302/201/34 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0स0 157/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0स0 166/23 धारा 504/506 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0स0 312/23 धारा 10 गुण्डा व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ०नि० श्री सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.का0 2167 अरुण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.का0 2502 विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर दिनांक – 24.07.2024

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 143/24 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.07.2024 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अजीतपाल उर्फ कालू पुत्र प्रेमराज सिंह निवासी ग्राम अलीपुर मिड्ढन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन को शादी करने का झांसा देकर गलत कार्य किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना बढापुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजीतपाल उर्फ कालू पुत्र प्रेमराज निवासी ग्राम अलीपुर मिड्ढन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजीतपाल उर्फ कालू पुत्र प्रेमराज निवासी ग्राम अलीपुर मिड्ढन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2.का0 2367 आनंद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2454 अरविन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 24.07.2024**

थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सालमाबाद में घटित घटना के संबंध मे स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही विषयक।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 24.07.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सलमाबाद में अभय (उम्र 07 वर्ष) पुत्र अमित चंद को उसके सगे जीजा मोहित पुत्र राजेश निवासी ग्राम रोहनिया थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने घर से गन्ने के खेत में ले जाकर मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से ब्लेड से गले पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी मोहित उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी पत्नी आशु को मेरे ससुरालजन मेरे साथ नहीं भेज रहे थे तथा ताने मारते थे, इसी से क्षुब्ध होकर मैंने अभय के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहांपर चिकित्सको ने उसे हायर सेन्टर मेरठ रेफर कर दिया। परिजनों से तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।